



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042023-245277
CG-DL-E-20042023-245277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 245]
No. 245]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 19, 2023/चैत्र 29, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 19, 2023/CHAITRA 29, 1945

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण आदेश

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2023

फा. सं. CEA-PS-13-23(13)/1/2023-PSPM Division.—जबकि मैसर्स ग्रीनको एपी 01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, मकान नं. 14-478/6, साई नगर, पनयम (वी) (पो) (एम)करनुल, करनुल, आंध्र प्रदेश – 518112 है, ने पारेषण योजना “900 मेगावाट अनुबंधित क्षमता की भंडारण सहसौर आधारित बिजली परियोजना (1500 मेगावाट सौर और 450 मेगावाट X 6 घंटे पंप भंडारण संयंत्र) जो कल्वा गांव, ओर्वाकल मंडल, जिला करनुल, आंध्र प्रदेश में स्थित है, की अनुबंधित क्षमता की निकासी / संयोजकता के लिए निर्मित होने वाली विद्युत् प्रणाली” के तहत बिजली की तार बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं.सीईए - पी एस-11-21/1/2021-पी एस पी ए -I डिवीजन -I /24860/2022 दिनांक 06.12.22 तथा सीईए - पी एस-11-21/1/2021-पी एस पी ए -I डिवीजन -I /16738/2021 दिनांक 06.07.21 के द्वारा पारेषण योजना “900 मेगावाट अनुबंधित क्षमता की भंडारण सहसौर आधारित बिजली परियोजना (1500 मेगावाट सौर और 450 मेगावाट X 6 घंटे पंप भंडारण संयंत्र) जो कल्वा गांव, ओर्वाकल मंडल, जिला करनुल, आंध्र प्रदेश में स्थित है, की अनुबंधित क्षमता की निकासी / संयोजकता के लिए निर्मित होने वाली विद्युत् प्रणाली” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरिलाइन के लिए मैसर्स ग्रीनको एपी 01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मैसर्स ग्रीनको एपी 01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 12.07.2022 (द हिन्दू (अंग्रेज़ी में), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश प्रकाशन), दिनांक 12.07.2022 (डेली हिंदी मिलाप (हिंदी में), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश प्रकाशन), दिनांक

12.07.2022(आंध्र ज्योती (तेलुगु में),आंध्र प्रदेश प्रकाशन)तथा भारत का राजपत्र दिनांक 20.08.2022में पारेषण योजना के लिएप्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनताकी टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था।इसके पश्चात, मैसर्स ग्रीनको एपी 01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड ने 23.12.2022दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों/ भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गतअपने प्रस्तावित 900 मेगावाट अनुबंधित क्षमता की भंडारण सहसौर आधारित विजली परियोजना (1500 मेगावाट सौर और 450 मेगावाट X 6 घंटे पंप भंडारण संयंत्र) जो कल्वा गांव, ओर्वाकल मंडल,जिला करनुल, आंध्र प्रदेश में स्थित है, की अनुबंधित क्षमता की निकासी / संयोजकता के लिए निर्मित होने वाली विद्युत् प्रणाली के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाइन हैं:

- (i) ग्रीनको एपी 01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड के पिन्नापुरम (कल्वा गांव ,करनुल जिला ,आंध्र प्रदेश) में स्थित सेंट्रल पावर पूलिंग सबस्टेशन से करनूल (न्यू) 765/400 के वी आई एस टी एस सबस्टेशन तक 400 के वी डी सी लाइन

उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

गांवों के नाम	तालुक	जिला	राज्य
कल्वा	ओर्वाकल	करनुल	आंध्र प्रदेश
हुसैनपुरम	ओर्वाकल	करनुल	आंध्र प्रदेश
ओर्वाकल	ओर्वाकल	करनुल	आंध्र प्रदेश

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय,भारत सरकार, “मैसर्स ग्रीनको एपी 01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड”को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- “मैसर्स ग्रीनको एपी 01 आईआरईपी प्राइवेट लिमिटेड”को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

राकेश गोयल, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./025/2023-24]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY**ORDER**

New Delhi, the 6th March, 2023

F. No. CEA-PS-13-23(13)/1/2023-PSPM Division.—whereas M/s Greenko AP01 IREP Private Limited, the applicant with its registered office at H.No 14 – 478/6, Sai nagar, Panyam (Vi) (Po) (M) Kurnool, Kurnool, Andhra Pradesh - 518112, has applied for authorization u/s 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Connectivity system of Greenko AP01 IREP Private Ltd for 900 MW contracted capacity having 1500 MW Solar Power Project along with Pumped Storage project of 450 MW X 6 hours at Pinnapuram, Kurnool District, Andhra Pradesh”

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its Letters No.CEA-PS-11-21/1/2021-PSPA-I Division-I/24860/2022 dated 06.12.22 and CEA-PS-11-21/1/2021-PSPA-I Division-I/16378/2021 dated 06.07.21 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Greenko AP01 IREP Private Limited for the overhead line covered under the transmission scheme “Connectivity system of Greenko AP01 IREP Private Ltd for 900 MW contracted capacity having 1500 MW Solar Power Project along with Pumped Storage project of 450 MW X 6 hours at Pinnapuram, Kurnool District, Andhra Pradesh”.

M/s Greenko AP01 IREP Private Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 12.07.2022 (The Hindu (in English), Hyderabad, Andhra Pradesh edition), dated 12.07.2022 (Daily Hindi Milap (in Hindi), Hyderabad, Andhra Pradesh edition), dated 12.07.2022 (Andhra Jyoti (in Telugu), Andhra Pradesh edition) and in Gazette of India dated 20.08.2022 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s Greenko AP01 IREP Private Limited has submitted an affidavit dated 23.12.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity system of Greenko AP01 IREP Private Ltd for 900 MW contracted capacity having 1500 MW Solar Power Project along with Pumped Storage project of 450 MW X 6 hours at Pinnapuram, Kurnool District, Andhra Pradesh”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

- (i) Central Power Pooling Substation of Greenko AP01 IREP Pvt Ltd at Pinnapuram (Kalva Village, Kurnool District, Andhra Pradesh) – Kurnool (New) 765/400 kV ISTS Substation 400 kV D/C line

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

NAME OF VILLAGES	TALUK	DISTRICT	STATE
Kalva	Orvakal	Kurnool	Andhra Pradesh
Hussainapuram	Orvakal	Kurnool	Andhra Pradesh
Orvakal	Orvakal	Kurnool	Andhra Pradesh

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Greenko AP01 IREP Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- The approval is granted for 25 years;
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.

- (vi) M/s Greenko AP01 IREP Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

RAKESH GOYAL, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./025/2023-24]